बदलते जमाने का अखबार
पीपुल्स समाचार
इंदौर, शुक्रवार 20 नवंबर 2015

सात सौ से अधिक नए सब इंस्पेक्टरों को 'साइबर क्राइम केप्सूल' का 'डोज'

ढाई वर्ष में हुए अपराधों का पीआरटीएस ने किया पीएम

जफर खान जफर ● इंदौर
9926033955

इंटरनेट के जरिए फरेब, धोखा, फर्जी प्रोफाइलें, आईडी चोरी आदि के मामले में साइबर अपराधियों से निबटने के लिए मप्र पुलिस ने ढाई वर्ष के दौरान घटित साइबर क्राइम की केस स्टडी के बाद नए नया ट्रेनिंग कोर्स तैयार कर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर ने ढाई वर्ष में घटित अपराधों का पीआरटीएस ने किया 'पोस्टमॉर्टम' करते हुए यह नया कोर्स तैयार किया है। अब तक 29-डी एसपी सहित सात सौ से अधिक नए सब इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

गौरतलब है कि इंदौर स्थित पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) द्वारा बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम की दिशा में मप्र पुलिस के नए अफसरों को हाल ही में तैयार किए गए नए कोर्स 'साइबर क्राइम केप्सूल' से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यही नहीं, आम नागरिकों को भी साइबर अपराधियों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आईजी (पीआरटीएस) वरुण कपूर खुद अपनी साइबर एक्सपर्ट टीम द्वारा मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के करीब 27 हजार नागरिकों को जागरूक कर चुके हैं। अब तक 131वीं कार्यशालाएं हो चुकी हैं। यह अभियान कॉलेजों में 'संकल्प', स्कूलों में 'संदेश', संस्थाओं के लिए 'सहयोग' और सिनीयर सिटीजन के लिए 'समाधान' शीर्षकों से आयोजित कार्यशालाओं के जरिए चल रहा है।

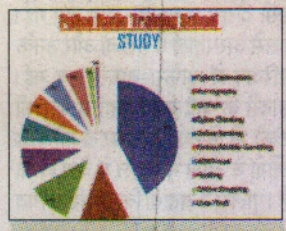

साइबर अपराधों में इंदौर जोन दूसरे नंबर पर

पीआरटीएस द्वारा वर्ष 2012 से 2014 के बीच ढाई वर्ष में इंदौर-भोपाल सहित प्रदेशभर के जिलों के थानों में दर्ज हुए साइबर क्राइम के प्रकरणों की समीक्षा की गई थी। कुल 1359 प्रकरणों में सर्वाधिक 503 मामले भोपाल जोन में व 339 मामले इंदौर जोन में दर्ज हुए थे, जबकि 158 साइबर अपराध जबलपुर जोन में दर्ज हुए थे।

अधिकृत जानकारी के अनुसार पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल द्वारा पिछले दिनों ढाई वर्षों की अवधि में प्रदेशभर में घटित व थानों में दर्ज 1359 साइबर अपराधों की केस स्टडी की गई थी। पीआरटीएस के निदेशक आईजी वरुण कपूर के मार्गदर्शन में लगभग 17 श्रेणियों में की गई समीक्षा के बाद संस्थान में तैयार नए सॉफ्टवेअर व टूल के जरिए मप्र पुलिस के नए अफसरों को नए कोर्स के जरिए प्रशिक्षित किया जाने लगा है, ताकि इंटरनेट के युग में अपराध के बदलते तौर-तरीकों के सामने मप्र पुलिस भी चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत हो सके।

अब जरूरत नए साइबर एक्ट की

प्रदेश में अब नए साइबर एक्ट की जरूरत है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66-ए को हटा गया दिया है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध पाया गया था। इधर, मप्र में ढाई वर्ष के साइबर अपराधों की समीक्षा में पाया कि प्रदेश में 43 फीसदी मामले आईटी एक्ट की उक्त धारा के तहत दर्ज हुए थे, जिस धारा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया। जानकारों के अनुसार इस धारा के तहत आरोपी के लिए कम्प्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के साधन से आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड का प्रावधान था। मप्र में आईटी वर्ष-2000 में बना था व 2008 में संशोधन हुआ था। यह एक्ट कमर्शियल क्षेत्र में आईटी को रेग्यूलेट (डिजीटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड आदि के संदर्भ में) करने के लिए बना था। आईजी वरुण कपूर का मानना है कि अब नए साइबर एक्ट की जरूरत है। एसोचेम व महेंद्रा एसएसजी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में वर्ष-2014 में 1 लाख 49 हजार साइबर अपराध घटित हुए थे। वर्ष-2015 तक ये आंकड़ा लगभग तीन लाख तक पहुंच सकता है।